| | | |
|---|---|---|
| **Desirable:**<br>(i) Ph. D. In the relevant subject mentioned above.<br>(ii) Two years working experience in Central Forensic Science Laboratory or State Forensic Science Laboratory or Police training Collage or Forensic Science department in any recognised University.<br><br>**Note 1:-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br><br>**Note 2:-** The maximum age-limit for deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application. | | |

[F.No. 23011/61/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

## (व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

**सा.का.नि. 178.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में प्रभागीय लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| प्रभागीय लेखाकार | (1660)* (2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।<br>**टिप्पण:** राज्यवार पद संख्या निम्ननुसार है:<br>अरुणाचल प्रदेश – 38<br>विहार – 198<br>छत्तीसगढ़ - 53<br>गुजरात – 47<br>हरियाणा – 70<br>हिमाचल प्रदेश - 44<br>झारखंड - 97<br>मध्य प्रदेश – 106<br>महाराष्ट्र – 150<br>मणिपुर – 27<br>ओडिशा - 117<br>पंजाब - 77<br>संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ -6<br>राजस्थान - 120<br>तमिलनाडु - 51<br>त्रिपुरा - 18<br>उत्तराखंड - 58<br>उत्तर प्रदेश – 255<br>पश्चिम बंगाल - 128<br>कुल - 1660 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर-6, (35400-112400 रु.) | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित होगी। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से बैचलर डिग्री।<br>(ii) विनिर्दिष्ट भाषा के लिए और यथाविनिर्दिष्ट स्तर पर और ऐसे राज्य के लिए जिसमें रिक्तियां विधमान है, भाषा प्रवीणता के लिए परीक्षण किया जाए और राज्य महालेखाकार के कार्यालय में भर्ती किया जाना है।<br>**टिप्पण :** अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखवद्ध किए जाएं कमर्चारी चयन अयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा।<br>**टिप्पण 1:** पश्चिम वंगाल राज्य में दस प्रतिशत रिक्तियों को प्रभागीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके पश्चिम वंगाल सरकार के ज्येष्ठ लेखा लिपिक के वेतन मैट्रिक्स में प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।<br>**टिप्पण 2:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्वी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए वाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जायेगी:-<br>(i) ऐसे प्रभागीय लेखाकार, जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अन्य लेखा और हकदारी कार्यालय के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में हों।<br>(ii) ऐसे ज्येष्ठ लेखाकार जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में हों (जो ऐसे लेखा और हकदारी कार्यालय के हैं, जिसकी अधिकारिता में रिक्तियाँ हुई हैं) जिन्होंने लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, और जिसे संकर्म अनुभाग में दो वर्ष का अनुभव हो; या<br>(iii) ऐसे लेखाकार जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हैं, (जो ऐसे लेखा और हकदारी कार्यालय के हैं, जिसकी अधिकारिता में रिक्तियाँ हुई हैं) जिन्होंने लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसे संकर्म अनुभाग में दो वर्ष का अनुभव हो; या<br>(iv) ऐसे राज्य लोक निर्माण लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसे लोक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | निर्माण लेखा में दो वर्ष का अनुभव भी है। <br><br> **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा |
|---|
| (11) |
| लागू नहीं होता |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** <br> 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक - अध्यक्ष । <br> 2. उप महालेखाकार या उप निदेशक - सदस्य । और <br> 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी – सदस्य । <br> **विभागीय प्रोन्नति समिति, (पश्चिम बंगाल राज्य में ज्येष्ठ लेखा लिपिक की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** <br> 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार - अध्यक्ष । <br> 2. उप महालेखाकार - सदस्य । और <br> 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी – सदस्य । | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा.सं. ए.12018/04/2013-ई.जी (जिल्द-II)]

निर्मला देव, उप सचिव (ई जी)

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Expenditure)

New Delhi, the 17th November, 2020

**G.S.R. 178.**—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Divisional Accountant in the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether Selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Divisional Accountant | 1660* (2020)<br>*subject to variation depending on requirement of workload.<br>**Note:** State-wise number of post is as under:<br>Arunachal Pradesh – 38<br>Bihar – 198<br>Chhattisgarh – 53<br>Gujarat – 47<br>Haryana – 70<br>Himachal Pradesh – 44<br>Jharkhand – 97<br>Madhya Pradesh – 106<br>Maharashtra – 150<br>Manipur – 27<br>Odissa – 117<br>Punjab – 77<br>Union Territory Chandigarh – 6<br>Rajasthan – 120<br>Tamilnadu – 51<br>Tripura – 18<br>Uttarakhand – 58<br>Uttar Pradesh – 255<br>West Bengal – 128<br>**Total – 1660** | General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial | Level-6 (Rs. 35400-112400) | Not applicable | Not exceeding 30 years.<br>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br>**Note:-** The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| (i) Bachelor's degree from a recognised University.<br><br>(ii) Language proficiency for the language specified, and at the level as prescribed and to be tested, for the State in which the vacancies exist and recruitment is to take place, in the office of State Accountants General.<br>Note: - Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. | Not applicable | Two years | By direct recruitment.<br><br>**Note 1**: In the State of West Bengal, ten percent of the vacancies shall be filled up by promotion of Divisional Accountants Grade Examination passed Senior Accounts Clerk as per the pay matrix of Government of West Bengal.<br><br>**Note 2:** Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on transfer on deputation from -<br>(i) Divisional Accountants in level-6 (Rs 35400-112400) in the pay matrix of other Accounts and Entitlement Offices of Indian Audit and Accounts Department; or<br>(ii) Senior Accountants in level-6 (Rs 35400-112400) in the pay matrix (belonging to the Accounts and Entitlement Office in whose jurisdiction the vacancies have arisen) who have passed the Departmental Examination for Accountants and having two years experience in Works section; or<br>(iii) Accountants in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service (belonging to the Accounts and Entitlement office in whose jurisdiction the vacancies have arisen) who have passed the Departmental Examination for Accountants and having two years experience in Works section; or<br>(iv) State Public Work Clerks in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service and two years experience in Public Works Accounts. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding his appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications. |

| In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades, from which promotion or deputation / absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not Applicable | **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-**<br>1. Senior Deputy Accountant General or Director –Chairperson;<br>2. Deputy Accountant General or Deputy Director –Member; and<br>3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer -Member.<br>**Departmental Promotion Committee (for considering promotion of Senior Accounts Clerk in the State of West Bengal) consisting of:-**<br>1. Senior Deputy Accountant General –Chairperson;<br>2. Deputy Accountant General –Member; and<br>3. Senior Accounts Officer -Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. A-12018/04/2013-EG (Vol-II)]
NIRMALA DEV, Dy. Secy (EG)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

**सा.का.नि. 179.**— राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2016, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे, जो पुर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।